

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर

(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103002712012

दांडिक प्रकरण क.-331/12

संस्थापित दिनांक-22.08.12

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। .....अभियोजन	
विरुद्ध	
01-चेपू उर्फ सगीर पुत्र घुन्नू उर्फ आसारउल्ला मुसलमान उम्र 33 वर्ष, निवासी मैदान गली चंदेरी। 02-इमरान पुत्र घुन्नू उर्फ आसारउल्ला मुसलमान उम्र 27 वर्ष निवासी मैदान गली, चंदेरी। 03-जाविद पुत्र समशेर खां मुसलमान, उम्र 23 वर्ष निवासी बादल महल चंदेरी। 04-जावेद पुत्र अनीश खां मुसलमान, उम्र 27 वर्ष निवासी चकला बाबडी, चंदेरी। .....आरोपीगण	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा	:- श्री चौरसिया अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 23.05.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 324, 323, 504, 34 के विचारण हेतु प्रस्तुत

किया गया।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादवि की धारा 323/34, 504 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 324 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी जसमन्त सिंह ने दिनांक 08.08.12 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को रात्रि करीब 08.15 बजे वह मीट मार्केट चंदेरी में मछली खरीदने गया था तभी उसकी मोटरसाईकिल के पास एक लडका रिपटकर गिर गया था तभी चेपू ने उससे कहा कि उसने लडके को पटक दिया है उसने कहा कि वह लडका तो रिपट कर गिर गया। इसी बात पर से चेपू, जावेद, इमरान, जाविल उसे गाली देने लगे और फिर जब उसने गाली देने से मना किया तो आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 273/12 के अंतर्गत भादवि की धारा 324, 323, 504, 34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 323/34, 504 एवं 324 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 07.08.12 को समय रात्रि 08:15 बजे मीट मार्केट चंदेरी रोड पर फरियादी को दांतों से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

**—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 जसवंत सिंह की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 जसवंत ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को आरोपी चेपू ने उसे पकड़ लिया था और उसके साथ झूमाझटकी की थी जिस पर से उसने आरोपीगण के विरुद्ध प्रपी 01 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी चेपू ने उसका गला पकड़ा था जिससे उसे नाखून से गले में चोट आई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी ने उसे दांतों से काट लिया था। अ.सा. 01 ने पुलिस कथन प्रपी 03 पुलिस को देने से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी ने अपने कथनों में यह नहीं बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा उसे दांतों से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की गई।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 324 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

12— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)